प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-01.05.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय लूटेरी दुल्हन सहित गैंग के कुल 09 सदस्यों को घटना के 12 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 72,000/- रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर वाहन सं0 UP 62 AQ 7239 व 01 अदद पीली धातु का मंगलसूत्र तथा घटना में प्रयुक्त 11 अदद मोबाइल फोन व जाली आधार कार्ड बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार के निर्देशानुसार जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से व वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.05.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-122/25 धारा-191(2), 119(1), 316(2), 318(4), बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित **शादी के नाम पर लूट करने वाली लुटेरी दुल्हन नकली नाम सीमा उर्फ काजल असली नाम गुलशाना रियाज खान सहित गिरोह के कुल 09 अभियुक्तगण** को समय करीब 04.40 बजे बदह ग्राम कसदहाँ गौशाला के पीछे थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनकी जामा तलाशी से कुल 72,000/- रूपये नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर वाहन सं0 UP 62 AQ 7239, एक अदद पीली धातू का मंगलसूत्र व घटना में प्रयुक्त कुल 11 मोबाइल फोन तथा तीन अदद जाली आधार कार्ड बरामद हुए । आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम कार्यावाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। **ये सभी लोग मिलकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब व दिल्ली राज्य के लोगों से सम्पर्क स्थापिक कर शादी का झांसा देकर उनके रूपये छीन लेते है ।**

घटना का संक्षिप्त विवरणः- पकडे गये सभी महिला व पुरुष अभियुक्तो से बारी बारी कडाई से पूछा गया तो जुर्म स्वीकार करते हुए बताये कि हम बाहर से शादी के लिए लोगो को बुलाते है और छल करके धोखे से उनसे मोटा पैसा लेते है जिसको आपस में बाट लेते है और शादी भी नही कराते है। दिनांक 29.04.2025 को हम लोगो ने रोहतक हरियाणा के आये हुए लाखन माजरा के रहने वाले सोनू पुत्र रामभगत की शादी कराने के लिए 80000 रुपये लिये थे। जिसमें 8000 रुपये खाने पीने में खर्च हो गये थे शेष बचे पैसे हम लोगो ने आज यहां पर बैठ कर आपस में बाट रहे थे कि आप लोगो ने आकर हम लोगो को पकड लिया था। जिसके सम्बन्ध में कल दिनांक 30.04.2025 को सोनू पुत्र राम भगत निवासी लाखन माजरा थाना लाखन माजरा जिला रोहतक प्रान्त हरियाणा की लिखित तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/25 धारा 191(2),119(1),316(2),318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहनलाल पुत्र सतवीर नि वर्ष 34 ग्राम जफरगढ थाना जुलाना जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब0के कब्जे से **(बरामदगीः-** कुल रुपये 15000)
2. रतन कुमार सरोज पुत्र छंगू राम सरोज नि वर्ष 32 ग्राम भटपुरा थाना महराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब0 (के कब्जे से कुल-रुपये 6000 नकद व एक अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन सैमसंग व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर वाहन सं 0 UP 62 AQ 7239)
3. रंजन उर्फ आशू गौतम पुत्र सुभाषचन्द्र नि वर्ष 22 ग्राम खमौरा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब0 (के कब्जे से कुल-01 रुपये व 10000 अदद एण्ड्रायड ओप्पो मोबाईल फोन)

4. राहुल राज पुत्र ओमप्रकाश निग्राम दौलताबाद रफीगंज थाना कटक0ा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 30 वर्ष (के कब्जे से कुल-अदद मोबाइल फोन जिसमें पहला आईटेल कीपैड व दूसरा सैमसंग ग्रे कल 02 रुपये तथा बायी जेब से 5000र एण्ड्रायड फोन।)
5. सन्नो उर्फ सुनीता पत्नी गुड्डू नि वर्ष 36 ग्राम मीरापुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब0(के कब्जे से कुल-13,000/-रुपये तथा एक अदद मोबाइल रीयलमी सफेद रंग एण्ड्रायड)
6. पूनम पत्नी सुनील कुमार नि वर्ष 33 ग्राम मजिरा थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब0(के कब्जे से कुल रुपये 5000 व एक अदद मोबाइल फोन ओपो एण्ड्रायड)
7. **नकली नाम सीमा उर्फ काजल** असली नाम गुलशाना रियाज खान पत्नी सोनू खान निग्राम मियापुर थाना लाईनबाजार 0 जनपद जौनपुर उम्र करीब वर्ष 21 (के कब्जे से कुल रूपये व एक अदद मंगलसूत्र पीली धातू तथा 8000एक अदद मोबाइल फोन ओपो मैरुन कलर एण्ड्रायड)
8. मंजू माली पुत्री स्व वर्ष 29 ग्राम केवटली महराजगंज थाना महराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब0सरजू प्रसाद नि 0(के कब्जे से कुल रूपये व 5000तीन अदद मोबाइल फोन जिसमें पहला जीओ नीला कलर कीपैड ,दूसरा मोबाइल ओपो ब्लैक कलर एण्ड्रायड व तीसरा मोबाइल फोन ब्लैक कलर एण्ड्रायड सैमसंग ग्लैक्सी A..03)
9. रुकसार पत्नी स्व वर्ष 21 ग्राम मीरापुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब0सादाब नि 0(के कब्जे से कुल 5000 रूपये वएक अदद मोबाइल फोन ओपो नीला कलर एण्ड्रायड।)

विवरण पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 122/25 धारा 191(2), 119(1), 316(2), 318(4) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण बरामदगी-

01-कुल- 72,000/- रूपये नकद।
02-एक अदद मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर यू0पी0-62-ए0क्यू0-7239
03-एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र
04-घटना में प्रयुक्त 11 अदद मोबाइल फोन
05-घटना में प्रयुक्त तीन अदद जाली आधार कार्ड

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक सन्त कुमार सिंह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
2.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
3.उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
4.म0उ0नि0 वन्दना मौर्या थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
5.म0उ0नि0 वन्दना सरोज थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
6.हे0का0 मो0 रईस थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
7.हे0का0 गुफरान खान थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
8.का0 अवनीश सिंह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
9.का0 गुलाम गौस थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
10.का0 मंजीत यादव थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
11.म0का0 शीबू यादव थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
12.का0 मणिशंकर थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
13.का0 नरसिंह यादव थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
14.म0का0 अर्चना सिंह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
15.का0 चालक सौरभ यादव थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर